

[2023] 2 एस. सी. आर. 661

ए.

शंकर

बनाम

महाराष्ट्र राज्य (2011 की आपराधिक अपील संख्या 954) 15 मार्च, 2023

बी.

[अजय रस्तोगी और सी. टी. रविकुमार, जे. जे.]

दंड संहिता 1860:धारा. 303 आर/डब्ल्यू 34-परिस्थितिजन्य साक्ष्य के आधार पर विचारण न्यायालय स्थिरता-इस मामले में कि पीड़ित ने धारदार हथियारों से हमला किया, 22 पूर्व-शव परीक्षण चोटों के कारण तत्काल मृत्यु हो गई-दुर्भाग्यपूर्ण दिन, पीड़ित अभि. साक्षी 8 के घर गया, आरोपी व्यक्ति भी वहां आए और अपीलार्थियों ने बाद की अपील में पीड़ित को गाली दी और उससे पूछा कि उसने अपने दोस्त के साथ अपने भाई पर हमला क्यों किया, हालांकि पीड़ित ने हमले से इनकार कर दिया-बाद में, आरोपी ने पीड़ित को पीने के लिए आमंत्रित किया और वे सभी मोटरसाइकिल पर अभि. साक्षी 8 के घर से निकल गए-एक घंटे बाद, शिकायतकर्ता को पीड़ित का शव मिला-कोई चश्मदीद गवाह नहीं था-जिसके आधार पर 302/34 और उन्हें आजीवन कारावास की सजा सुनाई-उच्च न्यायालय ने उसी को बरकरार रखा-अपील पर, अभिनिर्धारित किया:यदि संदेह अभियोजन पक्ष द्वारा किसी भी परिस्थिति की संभावना या निर्णायकता के संबंध में बना रहता है, जो समवर्ती निष्कर्षों के अस्तित्व के बावजूद, दोषी के अपराध की ओर इशारा करने वाली परिस्थितियों की श्रृंखला में एक कड़ी बनाता है, तो इस अवर न्यायालयों द्वारा साक्ष्य की जांच की जानी चाहिए ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि साक्ष्य और परिस्थितियों की समग्रता एक पूर्ण श्रृंखला का गठन करती है और यह दोषी के अपराध की ओर इशारा करती है-तथ्यों पर, पीडब्लू-8 से निकले अंतिम देखे गए संस्करण की शुद्धता संदिग्ध हो जाती है, विशेष रूप से अपीलार्थियों के खिलाफ-पीडब्लू-8 और पीडब्लू-10 की मौखिक गवाही अंतिम देखे गए के बारे में भिन्न होती है और यह अनिर्णायक हो जाती है-अभियोजन कथित उद्देश्य को साबित करने में विफल रहा-हालांकि पीड़ित की हत्या से मौत हो गई।

सी.

डी.

ई.

एफ.

जी.

एच.

661

662 सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट [2023] 2 एस. सी. आर.

ए.

अपीलों को अनुमति देते हुए, न्यायालय ने

यह अभिनिर्धारित किया कि **-1.1** परिस्थितिजन्य साक्ष्य से संबंधित कानून और उन मामलों के संबंध में जहां निचली अदालतों द्वारा समवर्ती निष्कर्ष दर्ज किए जाते हैं, भारत के संविधान के अनुच्छेद **136** के तहत शक्ति के प्रयोग में हस्तक्षेप की गुंजाइश को देखते हुए, यदि संदेह किसी भी परिस्थिति की संभावना या निर्णायकता के संबंध में रहता है, तो अभियोजन पक्ष द्वारा भरोसा किया जाता है, जो दोषी के अपराध की ओर इशारा करने वाली परिस्थितियों की श्रृंखला में एक कड़ी बनाता है, समवर्ती निष्कर्षों के अस्तित्व के बावजूद, इस न्यायालय द्वारा साक्ष्य की जांच की जानी चाहिए ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि साक्ष्य और परिस्थितियों की समग्रता एक पूर्ण श्रृंखला का गठन करती है और यह दोषी के अपराध की ओर इशारा करती है और यह दोषी के अपराध के अलावा किसी अन्य परिकल्पना को बाधित नहीं करती है।[पैरा **13**] [**671-बी-सी**]

बी.

सी.

1.2 इस तथ्य के संबंध में कोई संदेह नहीं हो सकता है कि एक मामले में जहां दोषसिद्धि परिस्थितिजन्य साक्ष्य पर आधारित है, उद्देश्य बहुत महत्वपूर्ण है।जिस तरह किसी को जिम्मेदार ठहराने के बाद मकसद स्थापित करने में विफलता की पूर्ण अनुपस्थिति, उसी तरह परिस्थितिजन्य साक्ष्य के आधार पर एक मामले में एक अलग रंग भी देना चाहिए और यह निश्चित रूप से अभियोजन के मामले को सक्षम करेगा।[पैरा **18**] [**674-ए, सी-डी**]

डी.

ई.

1.3 अभियोजन पक्ष ने एक मकसद का आरोप लगाया।**29.09.2001** पर अभियोजन पक्ष के अनुसार, मृतक ने अपने दोस्त के साथ अपीलार्थी के भाई पर बाद की अपील (सत्र मुकदमे में पहला आरोपी) में हमला किया।अभियोजन पक्ष का यह भी मामला है कि आरोपी व्यक्तियों के पीडब्लू-**8** के घर में प्रवेश करने के बाद, बाद की अपील में पहले आरोपी/अपीलार्थी ने मृतक को गाली दी और उससे पूछा कि उसने अपने दोस्त के साथ मिलकर अपने भाई पर हमला क्यों किया।अभियोजन पक्ष का यह भी मामला है कि हालांकि

मृतक ने ऐसी किसी भी घटना से इनकार किया, लेकिन उक्त अपीलार्थी ने यह कहना जारी रखा कि मृतक ने बेईमानी की थी और अपने भाई पर हमला किया था। आरोप लगाने के बाद अभियोजन पक्ष इसे स्थापित करने में विफल रहा था। इस संदर्भ में, यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि निचली विचारण न्यायालय ने एक सकारात्मक निष्कर्ष निकाला कि अभियोजन पक्ष कथित उद्देश्य को स्थापित करने में बुरी तरह विफल रहा था। निचली विचारण न्यायालय के उक्त निष्कर्ष के बावजूद और उस मुद्दे के बावजूद उच्च न्यायालय के समक्ष स्पष्ट रूप से उठाया गया था, जाहिर है कि उच्च न्यायालय ने विवादित ए.

एफ.

जी.

एच.

663

शंकर बनाम महाराष्ट्र राज्य ए

निर्णय में उक्त पहलू पर बिल्कुल भी विचार नहीं किया गया। उच्च न्यायालय की ओर से यह विफलता इस अपील में विशेष रूप से लिया गया आधार है। परिस्थितिजन्य साक्ष्य के आधार पर एक मामले में कथित उद्देश्य को स्थापित करने में विफलता ने अभियोजन पक्ष के मामले को कमजोर कर दिया था। इस पहलू को अवर न्यायालयों द्वारा उचित महत्व दिया जाना चाहिए था। [पैरा **21**] [**675-जी**; **676-ए-डी**]

बी.

1.4. जब पीडब्लू-8 और पीडब्लू-10 की मौखिक गवाही से प्राप्त तथ्यात्मक स्थिति, उच्च न्यायालय ने कहा कि 'अंतिम बार देखी गई' की परिस्थिति मामले में एक महत्वपूर्ण परिस्थिति है और इसका प्रमाण पीडब्लू-8 और पीडब्लू-10 की गवाही की गुणवत्ता और प्रकृति पर निर्भर करता है, तो इस सवाल का जवाब देने के लिए गंभीरता से विचार किया जाना चाहिए कि क्या पीडब्लू-10 का साक्ष्य पीडब्लू-8 के साक्ष्य की पुष्टि करेगा। इसी प्रकार, समग्र परिस्थितियों में भी अवर न्यायालयों को इस प्रश्न पर सावधानीपूर्वक विचार करना चाहिए था कि क्या पीडब्लू-8 का एकमात्र मौखिक साक्ष्य निर्णायक रूप से मृतक के साथ अंतिम रूप से देखे गए मृतक के तथ्य को साबित करेगा। पीडब्लू-8 और पीडब्लू-10 के साक्ष्य की सावधानीपूर्वक जांच पर यह अभिनिर्धारित किया जाता है कि निचली विचारण न्यायालय और उच्च न्यायालय दोनों इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए उस कार्य का उचित प्रयोग करने में विफल रहे हैं कि अभियोजन पक्ष अभियुक्त के अपराध को स्थापित करने के लिए केवल परिस्थितिजन्य साक्ष्य पर निर्भर करता है। इस प्रकार, वस्तुतः पीडब्लू-10 का साक्ष्य न केवल पीडब्लू-8 के साक्ष्य की पुष्टि करने में विफल रहा, बल्कि इसे संदेह की छाया में भी रखता है। इसलिए, उच्च न्यायालय ने यह अभिनिर्धारित करने में गलती की कि जैसा कि 'अंतिम बार देखे

गए' के उक्त परिस्थितिजन्य साक्ष्य से संबंधित है, पीडब्लू-8 के साक्ष्य को पीडब्लू-10 के साक्ष्य से पुष्टि मिलती है और मामले के उस दृष्टिकोण में, निचली विचारण न्यायालय के निष्कर्ष से सहमत होकर कि अभियोजन पक्ष यह साबित करने में सफल रहा है कि मृतक को अंततः आरोपी के साथ देखा गया था।[पैरा **25**] [**678-जी-एच; 679-ए-डी**]

सी.

डी.

ई.

एफ.

1.5 अपीलार्थियों के खिलाफ इस मामले में 'अंतिम बार देखे गए सिद्धांत' को लागू करने के लिए पीडब्लू-8 की एकमात्र गवाही पर भरोसा करना असुरक्षित है, विशेष रूप से पीडब्लू-8 के अनुसार वह केवल उनके साथ परिचित था। इस प्रकार, संक्षेप में पीडब्लू-8 से निकलने वाले अंतिम देखे गए संस्करण की शुद्धता संदिग्ध हो जाती है, विशेष रूप से अपीलार्थियों के खिलाफ। पीडब्लू-8 और पीडब्लू-10 की मौखिक गवाही यहाँ दी गई है

जी.

एच.

664 सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट [2023] 2 एस. सी. आर.

अंतिम बार देखे गए के बारे में भिन्नता और यह उल्लिखित कारणों से अनिर्णायक हो जाता है। अभियोजन पक्ष कथित उद्देश्य को साबित करने में बुरी तरह विफल रहा है। ऐसी परिस्थिति में, यद्यपि मृतक की हत्या से मौत हो गई थी, यह नहीं कहा जा सकता है कि अवर न्यायालयों दिए गए शेष परिस्थितिजन्य साक्ष्य मृतक की हत्या में अपीलार्थियों के दोषी होने की ओर इशारा करते हैं। यहां तक कि हथियार और पोशाक की बरामदगी, बाद की अपील में अपीलार्थी के कहने पर, अपने आप में निर्णायक नहीं हो सकती है क्योंकि स्वीकार है कि पंच गवाहों ने भी अपनी बरामदगी के लिए अभियोजन पक्ष का समर्थन नहीं किया था। अभियोजन पक्ष द्वारा जिन शेष परिस्थितियों पर भरोसा किया गया था और जैसा कि नीचे दी अवर न्यायालयों द्वारा साबित किया गया था, वे अपीलार्थियों के अपराध की ओर स्पष्ट रूप से इशारा नहीं करेंगे। इस प्रकार, अपीलार्थियों की दोषसिद्धि को बनाए रखना उक्त परिस्थितियों में असुरक्षित है; इस प्रकार, संदेह का लाभ उन्हें दिया जाता है। अपीलार्थियों बरी हो जाते हैं।[पारस **28-30**] [**680-F-H; 681-A-C**]

बी.

सी.

डी.

प्रकाश बनाम राजस्थान राज्य **(2013) 4 एससीसी 668:[2013] 2 एस. सी. आर. 458;** शरद बर्डहिचंद सारदा बनाम राज्य

महाराष्ट्र (1984) 4 एस. सी. सी. 116:[1985] 1 एससीआर 88;

अनवर अली और अन्न बनामहिमाचल प्रदेश राज्य **(2020)**

10 एससीसी 166:[2020] 9 एस. सी. आर. 878; शिवाजी चिंताप्पा पाटिल

बनाम महाराष्ट्र राज्य (2021) 5 एस. सी. सी. 626; सरबीर सिंह

ई.

बनाम पंजाब राज्य 1993 एस. सी. सी. (सी. आर. आई.) 860; बृजलाल प्रसाद सिन्हा बनाम बिहार राज्य (1998) एस. सी. सी. (सी. आर. आई.) 1382; तोमासो

ब्रूनो और एनर वी.उत्तर प्रदेश राज्य **(2015) 7 एससीसी**

178 :[2015] 1 एस. सी. आर. 721; नंदू सिंह बनाम राज्य

मध्य प्रदेश (अब छत्तीसगढ़) **2022 एससीसी**

एफ.

ऑनलाइन एससी **1454-संदर्भित।संदर्भित निर्णय**

(1993) एससीसी (सीआरआई) 860

संदर्भित किया गया है

पैरा **5**

(1998) एससीसी (सीआरआई) 1382

संदर्भित किया गया है

पैरा **7**

जी.

[2013] 2 एससीआर 458

संदर्भित किया गया है

पैरा **8**

[1985] 1 एससीआर 88

संदर्भित किया गया है

पैरा **8**

[2015] 1 एससीआर 721

संदर्भित किया गया है

पैरा **11** ए

एच.

665

शंकर बनाम महाराष्ट्र राज्य ए

[2020] 9 एससीआर 878

संदर्भित किया गया है

पैरा **19**

(2021) 5 एस. सी. सी. 626

संदर्भित किया गया है

पैरा **20**

आपराधिक अपील न्यायनिर्णय:2011 की आपराधिक अपील संख्या 954।

2004 की आपराधिक अपील संख्या 7 में बॉम्बे, नागपुर पीठ, नागपुर में उच्च न्यायालय के न्यायिक निर्णय और आदेश दिनांक 12.08.2009 से।

बी.

के साथ

2011 की आपराधिक अपील संख्या 955।

सी.

संजय जैन, सुनील कुमार वर्मा, अधिवक्तागण अपीलार्थी के लिए।

सचिन पाटिल, सिद्धार्थ धर्माधिकारी, जियो जोसेफ, रिस्वी मुहम्मद, दुर्गेश गुप्ता, आदित्य अनिरुद्ध पांडे, अधिवक्तागण प्रत्यर्थी के लिए।

न्यायालय का निर्णय इसके द्वारा दिया गया था

डी.

सी. टी. रविकुमार जे.

1. आजीवन कारावास भोगियों द्वारा शीर्षक वाली अपील, 2004 की आपराधिक अपील संख्या 7 में बॉम्बे में उच्च न्यायालय, नागपुर की पीठ द्वारा पारित स्वयं-समान निर्णय और दिनांक 12.08.2009 के आदेश के खिलाफ निर्देशित की जाती हैं। पहली अपील दूसरे और तीसरे अपीलार्थियों द्वारा दायर की गई थी, जिन पर 2002 के सत्र परीक्षण में अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, भंडारा की फाइल पर आरोप लगाया गया था। बाद की अपील में एकमात्र अपीलार्थी 2004 की आपराधिक अपील संख्या 7 में पहला अपीलार्थी था और वह 2002 के सत्र मुकदमे में पहला अभियुक्त था। मुकदमे के लंबित रहने के दौरान, चौथे अभियुक्त ने अंतिम सांस ली और पूर्व अपील में पहले अपीलार्थी ने अंतिम सांस ली।, श्री हीरालाल की मृत्यु इसके लंबित रहने के दौरान हुई थी। अतः पूर्व की अपील निरस्त कर दी जाती है। विचारण न्यायालय के फैसले के अनुसार अपीलार्थियों को भारतीय दंड संहिता, 1860 (इसके बाद, 'आई. पी. सी.')

की धारा 34 सहपठित धारा 302 के तहत राहुल पुंडलिक मेशराम (इसके बाद 'मृतक' के रूप में संदर्भित) की हत्या करने के लिए दोषी ठहराया गया था। उन्हें Rs.500 का जुर्माना लगाने के अलावा आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई थी-और जुर्माने का भुगतान न करने पर उन्हें प्रत्येक को एक महीने के लिए सश्रम कारावास का सामना करना पड़ता है। विवादित फैसले के अनुसार विचारण न्यायालय द्वारा इस प्रकार दी गई दोषसिद्धि और सजा की पुष्टि की गई थी। इसलिए, ये अपीलें।

ई.

एफ.

जी.

एच.

666

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

[2023] 2 एस सी आर।

2. संक्षेप में अभियोजन पक्ष का मामला इस प्रकार है:-

आईडी1 पर शाम करीब 5 बजे मृतक अपने एक दोस्त के साथ बांधारा के इंदिरा गांधी वार्ड गया, जहां चिंतामन गिड्डू गेटी (पीडब्लू-8) का घर है। अपने लूना मोपेड को पार्क करने के बाद मृतक अपने दोस्त को वाहन के पास छोड़कर चिंतामन गिड्डू गेटी (पीडब्लू-8) के घर के अंदर चला गया। मृतक और चिंतामन गिड्डू गेटी (पीडब्लू-8) ने गांजा पीया और जबकि मृतक आरोपी

नंबर 4 (राजू पांडे), हीरालाल, पूर्व अपील में पहला अपीलार्थी जो अब नहीं है और आरोपी Nos.1 और 3, जो जीवित दोषी हैं (जिन्हें इसके बाद 'अपीलार्थी' कहा जाता है), दो मोटरसाइकिलों पर वहां आए और वे भी चिंतामन गिड्डू गेटी (पीडब्लू-8) के घर के अंदर चले गए। वे सभी गांजा पी रहे थे। जबकि, बाद की अपील में अपीलार्थी अर्थात्, आरोपी नंबर 1 ने मृतक से सवाल किया कि उसने अपने दोस्त पराग सुखदेव के साथ मिलकर अपने भाई पर हमला क्यों किया। इस मोड़ पर यह ध्यान देने योग्य है कि अभियोजन पक्ष के अनुसार, 29.09.2001 पर, मृतक ने अपने दोस्त पराग सुखदेव के साथ बाद की अपील में अपीलार्थी के भाई पर हमला किया। हालाँकि, मृतक ने अपने भाई पर हमले से इनकार किया, बाद की अपील में अपीलार्थी (पहला आरोपी) ने कहना जारी रखा कि मृतक ने बेईमानी की और अपने भाई पर हमला किया। हालांकि, मृतक का दोस्त जो बाहर इंतजार कर रहा था, अंदर आया और उसे बाहर आने के लिए कहा, मृतक वहीं रहा और उसके बाद उसका दोस्त वहां से चला गया। बाद में, पहले आरोपी ने मृतक को शराब पीने के लिए आमंत्रित किया और मृतक सहित सभी चिंतामन गिड्डू गेटी (पीडब्लू) के घर से निकल गए। 8) शाम करीब 6 बजे तक दो मोटरसाइकिलों पर सवार पलाडी निवासी मनोज गोस्वामी को लगभग एक घंटे के बाद मृतक का शव मिला। मामला यह है कि ग्रामीणों द्वारा सूचित किए जाने पर मनोज गोस्वामी (पीडब्लू 1) मौके पर गए और शव मिलने पर भंडारा पुलिस स्टेशन गए और रिपोर्ट दर्ज कराई। अभियोजन पक्ष के अनुसार, मृतक को एक मोटरसाइकिल पर राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 6 से लखानी शहर की ओर ले जाया गया था। उक्त राष्ट्रीय राजमार्ग के उत्तर में और भंडारा से लगभग 10 किलोमीटर की दूरी पर पलाडी गाँव की ओर जाने वाली एक और सड़क थी और उक्त भंडारा-पलाडी सड़क के किनारे, राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 6 से लगभग एक किलोमीटर की दूरी पर, उन्होंने अपनी मोटरसाइकिल रोक दी और मृतक पर धारदार हथियारों से हमला करना शुरू कर दिया। मृतक के पूरे शरीर पर 22 पूर्व-शव परीक्षण चोटें आईं और उसकी तत्काल मृत्यु हो गई।

बी.

सी.

डी.

ई.

एफ.

जी.

एच.

667

शंकर बनाम महाराष्ट्र राज्य [सी. टी. रविकुमार, जे.] ए.

ए.

3. मान लीजिए, इस मामले में कोई चश्मदीद गवाह नहीं था। परिस्थितिजन्य साक्ष्य के आधार पर, विचारण न्यायालय ने अपीलार्थियों को दोषी पाया और उन्हें दोषी ठहराया और सजा सुनाई, जैसा कि ऊपर उल्लेख किया गया है। दोषसिद्धि और परिणामी सजा से व्यथित, जीवित अभियुक्त अर्थात्, उक्त सत्र विचारण में अभियुक्त संख्या 1 से 3 ने उच्च न्यायालय के समक्ष अपील को प्राथमिकता दी। विचारण न्यायालय द्वारा भरोसा की गई परिस्थितियों पर विचार करने के बाद और कुछ प्रक्रियाओं के खिलाफ अपने आरक्षण के बावजूद उच्च न्यायालय ने विचारण न्यायालय द्वारा अपीलार्थियों पर लगाए गए दोषसिद्धि और सजा की पुष्टि करते हुए कहा कि कुछ सिद्ध परिस्थितियां भौतिक परिस्थितियां हैं और अपेक्षित श्रृंखला को पूरा करेंगी।⁴ शीर्षक वाली अपीलों में अपीलार्थियों ने विभिन्न आधारों को उठाते हुए दोषसिद्धि और सजा के परिणामी अधिरोपण के निष्कर्षों को चुनौती दी है। लेकिन, अपीलार्थियों द्वारा उठाए गए समवर्ती निष्कर्षों के खिलाफ दलीलों पर विचार करने से पहले, हम केवल परिस्थितिजन्य साक्ष्य से संबंधित कानून पर निम्नलिखित निर्णयों का उल्लेख करना उचित पाते हैं।

बी.

सी.

5. सरबीर सिंह बनाम पंजाब राज्य 1 के मामले में इस न्यायालय ने फैसला सुनाया।

डी.

इस प्रकार मनाया और आयोजित किया गया:-

“5. ...लेकिन परिस्थितिजन्य साक्ष्य पर आधारित मामले में न तो आरोपी और न ही घटना के तरीके के बारे में पीड़ित से जुड़े व्यक्तियों को पता होता है। प्रथम सूचना रिपोर्ट केवल अपराध का खुलासा करते हुए दर्ज की जाती है, अपराधी का पता लगाने के लिए जांच एजेंसी पर छोड़ दी जाती है।

ई.

6. ऐसा कहा जाता है कि पुरुष झूठ बोलते हैं लेकिन परिस्थितियाँ नहीं। आज के समाज में प्रचलित परिस्थितियों में, यह कई मामलों में सच नहीं है। कभी-कभी वे परिस्थितियाँ जो आरोप स्थापित करने के उद्देश्य से अभियुक्त के खिलाफ साबित करने की मांग की जाती हैं, अभियुक्त के प्रति शत्रुतापूर्ण तत्वों द्वारा स्थापित की जाती हैं जो परिस्थितियों की श्रृंखला में अंतराल को भरने के लिए गवाहों का पता लगाते हैं। जांच के परिष्कृत तरीके वाले देशों में, अपराधी द्वारा छोड़े गए हर निशान का पालन किया जा सकता है और तुरंत पीछा किया जा सकता है। दुर्भाग्य से यह इस देश के कई हिस्सों में उपलब्ध नहीं है। यही कारण है कि अदालतों ने इस बात पर जोर दिया है कि (i) जिन परिस्थितियों से अपराध का निष्कर्ष निकाला जाना है, उन्हें पहली बार में पूरी तरह से स्थापित किया जाना चाहिए; (ii) इस तरह से स्थापित सभी तथ्य:

एफ.

जी.

1 1993 एससीसी (सीआरआई) 860

एच.

668 सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट [2023] 2 एस. सी. आर.

केवल अभियुक्त के दोषी की परिकल्पना के अनुरूप होना चाहिए और ऐसा होना चाहिए कि प्रत्येक परिकल्पना को बाहर कर दिया जाए, लेकिन जिसे साबित किया जाना चाहिए; (iii) परिस्थितियाँ निर्णायक प्रकृति की होनी चाहिए; और (iv) साक्ष्य की श्रृंखला में अभियुक्त की निर्दोषता के अनुरूप निष्कर्ष के लिए कोई उचित आधार नहीं होना चाहिए।

बी.

6. इसके अलावा यह निम्नानुसार आयोजित किया गया था:-

7. ...यह प्रभावित किया गया है कि संदेह और अनुमान को कानूनी प्रमाण का स्थान नहीं लेना चाहिए। यह सच है कि अभियोजन पक्ष द्वारा साबित की गई घटनाओं की श्रृंखला को यह दिखाना चाहिए कि सभी मानवीय संभावनाओं के भीतर अपराध अभियुक्त द्वारा किया गया है, लेकिन न्यायालय से अभियोजन पक्ष द्वारा सुझाए गए उद्देश्य के साथ सभी सिद्ध तथ्यों के कुल संचयी प्रभाव पर विचार करने की उम्मीद की जाती है, जिसने अभियुक्त को एक विशेष मार्ग का पालन करने के लिए प्रेरित किया। परिस्थितिजन्य साक्ष्य के आधार पर मामलों में अनुमानित तर्क की प्रक्रिया में एक उद्देश्य का अस्तित्व अक्सर एक ज्ञानवर्धक कारक होता है।

सी.

डी.

7. बृजलाल प्रसाद सिन्हा बनाम बिहार राज्य 2 के मामले में, इस न्यायालय ने निर्णय दिया

इस प्रकार:

“परिस्थितिजन्य साक्ष्य के मामले में अभियोजन पक्ष उन परिस्थितियों को स्थापित करने के लिए बाध्य है जिनसे निष्कर्ष निकाला जाता है, उन्हें पूरी तरह से साबित किया जाना चाहिए; परिस्थितियाँ प्रकृति में निर्णायक होनी चाहिए; इस तरह से स्थापित सभी परिस्थितियाँ केवल अपराध की परिकल्पना के अनुरूप होनी चाहिए और निर्दोषता के साथ असंगत होनी चाहिए; और अंत में परिस्थितियों को बहुत निश्चित रूप से अभियुक्त के अलावा किसी अन्य व्यक्ति के अपराध की संभावना को बाहर करना चाहिए। परिस्थितिजन्य साक्ष्य से संबंधित कानून अब एकीकृत नहीं रहता है और इस न्यायालय के निर्णयों के आधार पर यह अभिनिर्धारित किया गया है कि साबित परिस्थितियों से अभियुक्त के अपराध के अलावा कोई अन्य निष्कर्ष नहीं निकालना चाहिए ताकि अभियुक्त को आरोपित अपराधों के लिए दोषी ठहराया जा सके। यह

सावधानी के नियम के रूप में कहा जा सकता है कि न्यायालय के परिस्थितिजन्य साक्ष्य के आधार पर दोषसिद्धि दर्ज करने से पहले, उसे खुद को संतुष्ट करना चाहिए कि जिन परिस्थितियों से अपराध का निष्कर्ष निकाला जा सकता था, वे निर्विवाद साक्ष्य द्वारा स्थापित किए गए थे और

ई.

एफ.

जी.

2 (1998) एससीसी (सीआरआई) 1382 ए

एच.

669

शंकर बनाम महाराष्ट्र राज्य [सी. टी. रविकुमार, जे.] ए.

परिस्थितियाँ स्पष्ट रूप से अभियुक्त के अपराध की ओर इशारा करती हैं और इसके अलावा, सभी परिस्थितियाँ एक साथ अभियुक्त के अपराध को छोड़कर किसी भी उचित परिकल्पना पर कोई स्पष्टीकरण देने में असमर्थ हैं।”

8. प्रकाश बनाम राजस्थान राज्य 3 के निर्णय में, यह न्यायालय

बी.

संबंधित कानून के संबंध में निर्धारित निम्नलिखित सिद्धांतों पर ध्यान दिया गया

शरद बर्डहिचंद सारदा बनाम महाराष्ट्र राज्य 4 में परिस्थितिजन्य साक्ष्य:-

“153. इस निर्णय के गहन विश्लेषण से पता चलेगा कि किसी अभियुक्त के खिलाफ मामले को पूरी तरह से स्थापित होने से पहले निम्नलिखित शर्तों को पूरा किया जाना चाहिए:

सी.

(1) जिन परिस्थितियों से अपराध का निष्कर्ष निकाला जाना है, उन्हें पूरी तरह से स्थापित किया जाना चाहिए। यहाँ यह ध्यान दिया जा सकता है कि इस न्यायालय ने संकेत दिया कि संबंधित परिस्थितियाँ 'होनी चाहिए या होनी चाहिए' और 'नहीं' स्थापित की जा सकती हैं। जैसा कि इस न्यायालय ने शिवाजी साहबराव बोबडे बनाम महाराष्ट्र राज्य [(1973) 2 एस. सी. सी. 793] में अभिनिर्धारित किया था, जहाँ निम्नलिखित टिप्पणियाँ की गई थीं, 'साबित किया जा सकता है' और 'साबित होना चाहिए या साबित किया जाना चाहिए' के बीच केवल एक व्याकरणिक ही नहीं बल्कि एक कानूनी अंतर भी है।

डी.

ई.

19. ...”निश्चित रूप से, यह एक प्राथमिक सिद्धांत है कि अभियुक्त को न्यायालय द्वारा दोषी ठहराए जाने से पहले दोषी होना चाहिए और न कि केवल दोषी होना चाहिए और 'हो सकता है' और 'होना चाहिए' के बीच की मानसिक दूरी लंबी है और कुछ निष्कर्षों से अस्पष्ट अनुमानों को विभाजित करती है।”

एफ.

(2) इस प्रकार स्थापित तथ्य केवल अभियुक्त के अपराध की परिकल्पना के अनुरूप होने चाहिए, अर्थात् वे किसी अन्य परिकल्पना पर समझाने योग्य नहीं होने चाहिए सिवाय इसके कि अभियुक्त दोषी है।

(3) परिस्थितियाँ निर्णायक प्रकृति और प्रवृत्ति की होनी चाहिए,

जी.

(4) उन्हें साबित की जाने वाली परिकल्पना को छोड़कर हर संभावित परिकल्पना को बाहर करना चाहिए, और

3 (2013) 4 एससीसी 668 4 (1984) 4 एससीसी 116

एच.

670 सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट [2023] 2 एस. सी. आर.

(5) साक्ष्य की एक ऐसी श्रृंखला होनी चाहिए जो इतनी पूर्ण हो कि अभियुक्त की बेगुनाही के अनुरूप निष्कर्ष के लिए कोई उचित आधार न छोड़े और यह दिखाना चाहिए कि सभी मानवीय संभावनाओं में यह कार्य अभियुक्त द्वारा किया गया होगा।

154. ये पाँच सुनहरे सिद्धांत, यदि हम ऐसा कहें, तो परिस्थितिजन्य साक्ष्य के आधार पर मामले के प्रमाण का पंचशील बनाते हैं।”

बी.

9. उपरोक्त पाँच सुनहरे सिद्धांतों पर ध्यान देने के बाद, प्रकाश के मामले (उपरोक्त) में यह अभिनिर्धारित किया गया था कि वे परिस्थितिजन्य साक्ष्य के आधार पर मामले के प्रमाण के पंचशील का गठन करेंगे और यदि परिस्थितिजन्य साक्ष्य के आधार पर किसी मामले के प्रमाण के उन पाँच सुनहरे सिद्धांतों को संतुष्ट किया जाता है, तो अभियुक्त द्वारा दी गई जानकारी के अनुसरण में अंतिम बार देखे गए, उद्देश्य और दोषपूर्ण वस्तुओं की बरामदगी के आधार पर दोषसिद्धि कायम की जा सकती है।

सी.

10. वस्तुतः, उन निर्णयों में परिस्थितिजन्य साक्ष्य से संबंधित निर्धारित कानून का इस न्यायालय द्वारा उन मामलों से निपटने के दौरान दृढ़ता से पालन किया जाता है जहां परिस्थितिजन्य साक्ष्य पर दोषसिद्धि का आधार है। 11. हम इस स्थिति से भी पूरी तरह अवगत हैं कि आम तौर पर भारत के संविधान के अनुच्छेद 136 के तहत विशेष अनुमति द्वारा अपील में जब दोषसिद्धि और सजा के समवर्ती निष्कर्ष अपीलार्थियों/दोषियों के खिलाफ होते हैं तो असाधारण परिस्थितियों को छोड़कर हस्तक्षेप की कोई गुंजाइश नहीं होगी। टोमासो ब्रूनो एंड एनर बनाम में निर्णय में। उत्तर प्रदेश राज्य 5, इस न्यायालय की तीन न्यायाधीशों की पीठ ने निर्णय दिया:-

डी.

ई.

“42. कुल मिलाकर, यह न्यायालय नीचे दी अवर न्यायालयों द्वारा दर्ज किए गए समवर्ती निष्कर्षों में हस्तक्षेप नहीं करेगा। लेकिन जहां साक्ष्य की उचित रूप से सराहना नहीं की गई है, भौतिक पहलुओं को नजरअंदाज कर दिया गया है और निष्कर्ष संविधान के अनुच्छेद 136 के तहत विकृत हैं, यह न्यायालय निश्चित रूप से अवर न्यायालयों के निष्कर्षों में हस्तक्षेप करेगा, हालांकि समवर्ती। परिस्थितिजन्य साक्ष्य पर आधारित मामले में, जिन परिस्थितियों से अपराध का निष्कर्ष निकाला जाना चाहिए, उन्हें पूरी तरह से साबित किया जाना चाहिए और ऐसी परिस्थितियां निर्णायक प्रकृति की होनी चाहिए जो अभियुक्त के अपराध की ओर इशारा करती हों। परिस्थितियों की ऐसी श्रृंखला में कोई अंतर नहीं होगा।”

एफ.

जी.

5 (2015) 7 एससीसी 178 ए

एच.

671

शंकर बनाम महाराष्ट्र राज्य [सी. टी. रविकुमार, जे.] ए.

12. सुना गया, श्री संजय जैन और श्री सुनील कुमार वर्मा, अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता और श्री सचिन पाटिल, प्रतिवादी-राज्य के विद्वान अधिवक्ता।

13. इससे पहले निर्दिष्ट निर्णयों के तहत उजागर किए गए परिस्थितिजन्य साक्ष्य से संबंधित कानून और उन मामलों के संबंध में भारत के संविधान के अनुच्छेद 136 के तहत शक्ति के प्रयोग में हस्तक्षेप की गुंजाइश को देखते हुए जहां निचली अदालतों द्वारा समवर्ती निष्कर्ष दर्ज

किए जाते हैं, हमारा विचार है कि यदि अभियोजन पक्ष द्वारा भरोसा की गई किसी भी परिस्थिति की संभावना या निर्णायकता के संबंध में संदेह बना रहता है, जो दोषी के अपराध की ओर इशारा करने वाली परिस्थितियों की श्रृंखला में एक कड़ी बनाता है, समवर्ती निष्कर्षों के अस्तित्व के बावजूद, इस न्यायालय द्वारा साक्ष्य की जांच की जानी चाहिए ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि साक्ष्य और परिस्थितियों की समग्रता एक पूरी श्रृंखला का गठन करती है और यह दोषी के अपराध की ओर इशारा करती है और यह दोषी के अपराध के अलावा किसी अन्य परिकल्पना को नहीं रोकती है। दोनों पक्षों के विद्वान अधिवक्ता को सुनने और अभिलेख पर साक्ष्य और सामग्री पर सावधानीपूर्वक विचार करने पर, हमारा विचार है कि वर्तमान मामला एक उपयुक्त मामला है जहां इस तरह के अभ्यास की आवश्यकता है। इस तरह की कवायद शुरू करने से पहले, केवल इन प्रश्नों पर गौर करना उचित है कि क्या राहुल पुंडलिक मेशराम की मृत्यु प्रकृति में हत्या है। वास्तव में, इस पहलू पर बहुत अधिक विवाद नहीं है।

बी.

सी.

डी.

14. प्रदर्शनी-54 पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट के साथ पीडब्लू-13 के साक्ष्य ने निचली अदालतों को समवर्ती रूप से इस निष्कर्ष पर पहुंचने के लिए प्रेरित किया कि राहुल पुंडलिक मेशराम की मृत्यु प्रकृति में हत्या है। पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट में मृतक के शरीर पर 22 पूर्व-पोस्टमार्टम चोटों की उपस्थिति का पता चलेगा। इससे यह भी पता चलेगा कि 22 पूर्व-शव परीक्षण चोटों में से, इनमें से 7 को छोड़कर, कटे हुए घाव हैं। उक्त 7 चोटें शरीर के विभिन्न हिस्सों पर चाकू से लगी गंभीर चोटें हैं। उन सभी चोटों की प्रकृति को ध्यान में रखते हुए पीडब्लू-13 ने कहा कि मृतक की मृत्यु का कारण छाती और पीठ पर दिल और फेफड़ों जैसे महत्वपूर्ण अंगों से जुड़ी कई चोटें थीं। हमें उक्त परिस्थितियों में यह मानने में कोई झिझक नहीं है कि नीचे दिए गए न्यायालय इस निष्कर्ष पर सही तरीके से पहुंचे हैं, इस साक्ष्य के आलोक में कि राहुल पुंडलिक मेशराम की मृत्यु प्रकृति में हत्या है।

ई.

एफ.

जी.

15. मान लीजिए, अपीलार्थियों की दोषसिद्धि केवल परिस्थितिजन्य साक्ष्य पर आधारित है। विचारण न्यायालयक अनुसार, अभियोजन पक्ष द्वारा ओकर समक्ष अपीलार्थियोंसभ सहित अभियुक्तक अपराध स्थापित करबाक लेल निम्नलिखित परिस्थितिसभ पर भरोसा कयल गेल छल:-

एच.

“1. मृतक राहुल मेशराम का चिंतामन गेटी (पी. डब्ल्यू. 8) के घर का दौरा।

2. जबकि मृतक चिंतामन के घर पर था, आरोपी एन. ओ. एस। 1 से 3 और मृतक आरोपी राजू पांडे चिंतामन गेटी के घर पहुंचे।

बी.

3. एक तरफ आरोपी और दूसरी तरफ मृतक के बीच मकसद को लेकर बहस हुई थी। 4. कि, आरोपी व्यक्तियों ने शराब पीने के बहाने मृतक को अपने साथ जाने के लिए राजी किया।

सी.

5. वह, मृतक और आरोपी एन. ओ. एस.। 1 से 3 और मृतक आरोपी राजू पांडे, चिंतामन गेटी के घर से दो मोटरसाइकिलों पर निकला।

6. कि, उसके तुरंत बाद, यानी मृतक के आरोपी व्यक्तियों के साथ चिंतामन गेटी के घर से निकलने के बाद, वह हत्या का शिकार पाया गया।

डी.

7. मृतक के समूह 'ए' के खून के धब्बों के साथ आरोपी नंबर 1 से हथियार की बरामदगी। 8. डॉ. साउ की राय। मंजुषा रंगारी ने कहा कि उक्त हथियार से मृतक के शव पर जो चोटें मिली थीं, वे हो सकती हैं।

ई.

9. आरोपी नंबर 1 द्वारा खून से सने कपड़े जलाने के तथ्य की खोज और वे कपड़े आरोपी एन. ओ. एस. के थे। 1 और 2।

एफ.

10. पूरा पैट आरोपी नंबर 1 का था, जो मृतक के रक्त समूह "ए" के खून से सना हुआ था।”

16. कथित परिस्थितियों पर विचार करने के बाद, विचारण न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया कि अभियोजन पक्ष निम्नलिखित आठ परिस्थितियों को स्थापित करने में सफल रहा है:-

जी.

“1. चिंतामन गेटी के घर पर मृतक राहुल मेशराम की यात्रा।

2. मृतक अभियुक्त के साथ अभियुक्त संख्या 1 से 3 का चिंटमैन गेटी के घर पर आगमन।

एच.

शंकर बनाम महाराष्ट्र राज्य [सी. टी. रविकुमार, जे.] ए.

ए.

3. कि, आरोपी नंबर 1 से 3 और मृतक आरोपी मृतक को शराब पीने के लिए अपने साथ शामिल होने के लिए मनाने में सफल रहे।

4. कि, आरोपी नंबर 1 से 3, मृतक आरोपी राजू पांडे और मृतक राहुल मेशराम दो मोटर साइकिलों पर चिंतामन गेटी के घर से निकले।

बी.

5. कि मृतक और आरोपी व्यक्तियों के चिंतामन गेटी के घर से निकलने के तुरंत बाद, मृतक की हत्या कर दी गई थी।

6. आरोपी नंबर 1 के कहने पर मृतक के समूह "ए" का एक छोर पर हैंडल और दूसरे छोर पर तेज और धारदार हथियार बरामद किया गया, जो खून से सना हुआ पाया गया था।

सी.

7. डॉक्टर ने राय दी कि उक्त हथियार से, चोटें हो सकती हैं, जो मृतक के मृत शरीर पर पाई गई थीं।

डी.

8. आरोपी नंबर 1 ने भंडारा कॉलोनी में पानी की टंकी के पास कपड़े जला दिए।”

17. नतीजतन, विचारण न्यायालय ने इस सवाल पर विचार किया कि क्या रद्द की गई परिस्थितियाँ एक पूरी श्रृंखला बनाएंगी जो बिना किसी कारण के आरोपी के अपराध की ओर इशारा करती हैं और अकेले आरोपी और जाहिर है, उस सवाल का सकारात्मक जवाब देने पर दोषसिद्धि दर्ज की गई थी। विचारण न्यायालय के अनुसार, निम्नलिखित तीन सिद्ध परिस्थितियाँ अभियुक्त को हत्या की मौत से जोड़ने वाले परिस्थितिजन्य साक्ष्य का गठन करने के लिए पर्याप्त हैं:-

ई.

एफ.

“1. कि, जब मृतक चिंतामन गेटी के घर पर था, मृतक आरोपी राजू पांडे आरोपी Nos.1 से 3. के साथ चिंतामन गेटी के घर आया और मृतक को शराब पीने के लिए अपने साथ जाने के लिए मनाने में सफल रहा।

जी.

2. कि मृतक आरोपी Nos.1 से 3 और मृतक आरोपी राजू के साथ दो मोटो साइकिलों पर चिंतामन गेटी के घर से निकला।

3. कि, इसके तुरंत बाद, मृतक की हत्या कर दी गई थी।”

एच.

674

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

[2023] 2 एस सी आर।

18. इस तथ्य के संबंध में कोई संदेह नहीं हो सकता है कि एक मामले में जहां दोषसिद्धि परिस्थितिजन्य साक्ष्य पर आधारित है, उद्देश्य बहुत महत्वपूर्ण है। नंदू सिंह में इस न्यायालय की तीन न्यायाधीशों की पीठ

v. मध्य प्रदेश राज्य (अब छत्तीसगढ़) 6 अपने निर्णय द्वारा

दिनांक 25.02.2022, इस प्रकार देखने के बाद, निम्नानुसार अभिनिर्धारित किया गया:-

“ऐसा नहीं है कि अभियोजन द्वारा स्थापित किए जाने वाले मामले में केवल मकसद ही महत्वपूर्ण कड़ी बन जाता है और इसकी अनुपस्थिति में अभियोजन के मामले को खारिज कर दिया जाना चाहिए। लेकिन, साथ ही, उद्देश्य की पूर्ण अनुपस्थिति एक अलग रंग धारण करती है और ऐसी अनुपस्थिति निश्चित रूप से अभियुक्त के पक्ष में है।”

बी.

सी.

हम यहां यह भी जोड़ सकते हैं कि जिस तरह किसी को जिम्मेदार ठहराने के बाद मकसद स्थापित करने में विफलता की पूर्ण अनुपस्थिति होती है, उसी तरह परिस्थितिजन्य साक्ष्य के आधार पर किसी मामले में एक अलग रंग भी देना चाहिए और यह निश्चित रूप से अभियोजन के मामले को सक्षम बनाएगा।

19. नंदू सिंह के मामले में निर्णय में एक पूर्व निर्णय

डी.

यह न्यायालय अनवर अली और ए. एन. आर. बनाम. हिमाचल प्रदेश राज्य 7, था

समझौते के साथ उद्धृत, इस प्रकार:-

“24. अब जहाँ तक अभियुक्त की ओर से यह निवेदन कि वर्तमान मामले में अभियोजन पक्ष उद्देश्य को स्थापित करने और साबित करने में विफल रहा है और इसलिए अभियुक्त बरी होने

का हकदार है, यह सच है कि उद्देश्य को साबित करने का अभाव अभियोजन मामले को अस्वीकार करने का आधार नहीं हो सकता है। यह भी सच है और जैसा कि इस न्यायालय द्वारा सुरेश चंद्र बहरी बनाम बिहार राज्य (1995 सप्लीमेंट (1) एस. सी. सी. 80) मामले में अभिनिर्धारित किया गया है कि यदि उद्देश्य साबित हो जाता है तो यह परिस्थितिजन्य साक्ष्य की श्रृंखला में एक कड़ी प्रदान करेगा लेकिन इसकी अनुपस्थिति अभियोजन मामले को अस्वीकार करने का आधार नहीं हो सकती है। हालाँकि, उसी समय, जैसा कि इस न्यायालय द्वारा बाबू (बाबू बनाम केरल राज्य, (2010) 9 एस. सी. सी. 189) में कहा गया है, परिस्थितिजन्य साक्ष्य के आधार पर किसी मामले में उद्देश्य की अनुपस्थिति एक ऐसा कारक है जो अभियुक्त के पक्ष में है। पैरा 25 और 26 में, इसे निम्नानुसार मनाया और माना गया है: (बाबू मामला, एस. सी. सी. पीपी. 200-01)।

ई.

एफ.

जी.

“25. यू. पी. राज्य बनाम किशनपाल (2008) 16 एस. सी. सी. 73), इस न्यायालय ने मामलों में उद्देश्य के महत्व की जांच की

6 2022 एससीसी ऑनलाइन एससी 1454 7 (2020) 10 एससीसी 166 ए

एच.

675

शंकर बनाम महाराष्ट्र राज्य [सी. टी. रविकुमार, जे.] ए.

परिस्थितिजन्य साक्ष्य और अवलोकित: (एस. सी. सी. पीपी. 87-88, पैरा 38-39)

‘38.... उद्देश्य एक ऐसी चीज है जो मुख्य रूप से अभियुक्त स्वयं जानते हैं और अभियोजन पक्ष के लिए यह बताना संभव नहीं है कि वास्तव में उन्हें विशेष अपराध करने के लिए क्या बढ़ावा दिया या उकसाया गया।

बी.

39. उद्देश्य को एक ऐसी परिस्थिति के रूप में माना जा सकता है जो साक्ष्य का आकलन करने के लिए प्रासंगिक है, लेकिन यदि साक्ष्य स्पष्ट और असंदिग्ध है और परिस्थितियाँ अभियुक्त के अपराध को साबित करती हैं, तो यह कमजोर नहीं होता है, भले ही उद्देश्य बहुत मजबूत न हो। यह भी तय किया गया कानून है कि उस मामले में मकसद अपना सारा महत्व खो देता है जहां चश्मदीद गवाहों का प्रत्यक्ष सबूत उपलब्ध है, क्योंकि भले ही आरोपी व्यक्तियों के लिए कोई विशेष अपराध करने का बहुत मजबूत मकसद हो, लेकिन उन्हें दोषी नहीं ठहराया जा सकता है

अगर चश्मदीद गवाहों का सबूत आश्वस्त नहीं करता है। इसी तरह, भले ही कोई स्पष्ट उद्देश्य न हो, लेकिन यदि चश्मदीद गवाहों का साक्ष्य स्पष्ट और विश्वसनीय है, तो उद्देश्य की अनुपस्थिति या अपर्याप्तता दोषसिद्धि के रास्ते में नहीं आ सकती है।'

सी.

डी.

26. इस न्यायालय ने यह भी अभिनिर्धारित किया है कि परिस्थितिजन्य साक्ष्य के आधार पर किसी मामले में उद्देश्य की अनुपस्थिति एक ऐसा कारक है जो अभियुक्त के पक्ष में है। (पन्नयार बनाम टी. एन. राज्य (2009) 9 एस. सी. सी. 152) के माध्यम से।

ई.

20. शिवाजी चिंताप्पा पाटिल बनाम राज्य के निर्णय में

महाराष्ट्र 8, अनवर अली के मामले (ऊपर) में निर्णय का उल्लेख करने के बाद, इस न्यायालय ने इस प्रकार टिप्पणी की:-

एफ.

“27. यद्यपि प्रत्यक्ष साक्ष्य के मामले में, उद्देश्य प्रासंगिक नहीं होगा, परिस्थितिजन्य साक्ष्य के मामले में, उद्देश्य परिस्थितियों की श्रृंखला को पूरा करने के लिए एक महत्वपूर्ण कड़ी निभाता है।”

21. मामले में, अभियोजन पक्ष ने एक मकसद का आरोप लगाया। 29.09.2001 पर अभियोजन पक्ष के अनुसार, मृतक ने अपने दोस्त पराग सुखदेव के साथ अपीलार्थी के भाई पर बाद की अपील (सत्र मुकदमे में पहला आरोपी) में हमला किया। अभियोजन पक्ष का यह भी मामला है कि अभियुक्त व्यक्तियों के पीडब्लू-8 के घर में प्रवेश करने के बाद,

जी.

8 (2021) 5 एस. सी. सी. 626

एच.

676

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

[2023] 2 एस सी आर।

बाद की अपील में पहले आरोपी/अपीलार्थी चिंतामन गिड्डू गेटी ने मृतक को गाली दी और उससे पूछा कि उसने अपने दोस्त पराग सुखदेव के साथ मिलकर अपने भाई पर हमला क्यों किया।

अभियोजन पक्ष का यह भी मामला है कि हालांकि मृतक ने ऐसी किसी भी घटना से इनकार किया, लेकिन उक्त अपीलार्थी ने यह कहना जारी रखा कि मृतक ने बेईमानी की थी और अपने भाई पर हमला किया था। ऊपर बताए गए उद्देश्य का आरोप लगाने के बाद, अभियोजन पक्ष इसे स्थापित करने में विफल रहा था। इस संदर्भ में, यह ध्यान देने योग्य है कि विचारण न्यायालय ने एक सकारात्मक निष्कर्ष निकाला कि अभियोजन पक्ष कथित उद्देश्य को स्थापित करने में बुरी तरह विफल रहा था। विचारण न्यायालय के उक्त निष्कर्ष के बावजूद और उस मुद्दे को उच्च न्यायालय के समक्ष स्पष्ट रूप से उठाए जाने के बावजूद, जाहिर है कि उच्च न्यायालय ने विवादित फैसले में उक्त पहलू पर बिल्कुल भी विचार नहीं किया। उच्च न्यायालय की ओर से यह विफलता इस अपील में विशेष रूप से लिया गया आधार है। अनवर में निर्णय के आलोक में

बी.

सी.

अली का मामला (ऊपर) और शिवाजी चिंताप्पा पाटिल का मामला (ऊपर), और

परिस्थितिजन्य साक्ष्य के आधार पर किसी मामले में कथित उद्देश्य को स्थापित करने में विफलता के प्रभाव के संबंध में हमने जो माना, उसके आधार पर यह केवल यह माना जा सकता है कि उक्त विफलता ने अभियोजन पक्ष के मामले को कमजोर कर दिया था। इस पहलू को अवर न्यायालयों द्वारा उचित महत्व दिया जाना चाहिए था। 22. अब, हम उन अन्य परिस्थितियों पर विचार करने के लिए आगे बढ़ेंगे जिन पर वे निर्भर हैं और क्या वे परिस्थितियों की एक पूरी श्रृंखला बनाएंगे और अपीलार्थी की निर्दोषता की परिकल्पना को दूर करेंगे। उस संदर्भ में, केवल उस परिस्थिति का उल्लेख करना उचित है जिस पर मुख्य रूप से भरोसा किया गया था और जैसा कि उच्च न्यायालय द्वारा अपीलार्थियों की दोषसिद्धि की पुष्टि के लिए साबित किया गया था, कि मृतक को उसका शव मिलने से ठीक पहले अपीलार्थियों के साथ 'अंत में देखा' गया था। इस प्रकार देखने के बाद, उच्च न्यायालय ने कहा कि इसका प्रमाण चिंतामन (पीडब्लू-8) और धनराज (पीडब्लू-10) की गवाही की गुणवत्ता और प्रकृति पर निर्भर करेगा।

डी.

ई.

एफ.

23. विवादित फैसले के पैराग्राफ 14 से पता चलता है कि 'अंतिम बार देखे गए सिद्धांत', हथियारों की बरामदगी और कपड़ों की जब्ती पर आधारित साक्ष्य का उल्लेख करने के बाद उच्च न्यायालय ने कहा कि निम्नलिखित जुड़वां भौतिक परिस्थितियां आवश्यक श्रृंखला को पूरा करेंगी, अर्थात्:-

जी.

“(क) घटना के दिन शाम करीब 4 बजे मृतक राहुल और सभी अपीलार्थियों चिंतामन (पीडब्लू-8) के घर पर मौजूद थे।

(ख) मृतक राहुल घटना के दिन शाम करीब 5 बजे चिंतामन के घर से अपीलार्थियों और ए के साथ निकला।

एच.

677

शंकर बनाम महाराष्ट्र राज्य [सी. टी. रविकुमार, जे.] ए.

दो घंटे के भीतर, कई चीरे और चाकू के घावों के साथ राहुल का शव 10 किलोमीटर दूर सड़क के किनारे पड़ा मिला। भंडारा शहर से दूर। अभिलेख पर यह दिखाने के लिए कुछ भी नहीं है कि मृतक राहुल की अपीलार्थियों के अलावा किसी और के साथ दुश्मनी थी और उसके अभाव में, किसी और के मृतक पर हमला करने और इतने सारे घावों का कारण बनने की संभावना को पूरी तरह से खारिज कर दिया गया है।”

बी.

24. आक्षेपित निर्णय में (क) के रूप में निर्दिष्ट भौतिक परिस्थिति के संबंध में, जैसा कि ऊपर निकाला गया है, उच्च न्यायालय द्वारा जो कहा गया है वह पूरी तरह से साक्ष्य के भार के खिलाफ है। पीडब्लू-8 का साक्ष्य जब पीडब्लू-10 के साथ जोड़ा जाता है तो उक्त स्थिति का पता चलता है। इसमें कहा गया है कि घटना के दिन लगभग 1 बजे मृतक राहुल पुंडलिक मेशराम और सभी अपीलार्थियों चिंतामन (पीडब्लू-8) के घर पर मौजूद थे। परिस्थितिजन्य साक्ष्य पर आधारित एक मामले में और परिस्थितियों की श्रृंखला में एक कड़ी के रूप में 'अंतिम बार देखे गए' सिद्धांत पर भरोसा किया जाता है, उस समय से संबंधित साक्ष्य जिस पर मृतक को अंततः आरोपी के साथ देखा गया था, निर्णायक रूप से साबित करना होगा क्योंकि जब यह निकट होगा मृत शरीर को खोजने का समय निर्दोषता स्थापित करने का बोझ आरोपी का होगा। निर्विवाद रूप से, उपरोक्त कथन के विपरीत, चिंतामन (पीडब्लू-8) द्वारा जो बयान दिया गया है, वह यह है कि घटना के दिन लगभग 1 बजे मृतक उसके घर आया और फिर एक गिलास पानी मांगा और उसके बाद, राजू पांडे (मृतक आरोपी संख्या 4) तीन अन्य व्यक्तियों के साथ घर आया, जिनके संबंध में वह केवल सिर हिलाकर परिचित हुआ था। वह यह भी गवाही देगा कि उसके बाद राजू पांडे ने मृतक को गाली देना शुरू कर दिया। विचारण न्यायालय और उच्च न्यायालय दोनों ने अभियोजन पक्ष के मामले को नोट किया कि राजू पांडे ने अपने दोस्त श्री पराग सुखदेव के साथ आरोपी नंबर 1 के भाई पर हमला करने के लिए मृतक को गाली दी थी। हालाँकि, पीडब्लू-8 की मौखिक गवाही की जांच से पता चलता है कि उसने यह गवाही नहीं दी कि राजू पांडे ने आरोपी नंबर 1 के भाई पर हमले के आधार पर मृतक को गाली दी थी। स्वाभाविक रूप से उन्होंने पराग सुखदेव के नाम का भी उल्लेख नहीं किया। इसी तरह, यह भी पता चलता है कि उन्होंने गांजे की बिक्री या अपने

घर में गांजे की उपलब्धता में शामिल होने से इनकार किया था। उनके अनुसार राजू पांडे और आरोपी नंबर 1 अकेले उनके घर की चपड़ी में आए थे और शेष दो आरोपी उनके घर के आंगन में खड़े थे। इसके अलावा, पीडब्लू-8 के अनुसार यह लगभग 06 था:00 राजू पांडे और मृतक पर आरोप लगाने वाले प्रधानमंत्री ने अपना घर छोड़ दिया। इस प्रकार, यह स्पष्ट है कि बयान में

सी.

डी.

ई.

एफ.

जी.

एच.

678

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

[2023] 2 एस सी आर।

विवादित निर्णय के पैराग्राफ 14 में 'ए' के रूप में उल्लिखित भौतिक परिस्थिति धनराज (पीडब्लू-10) की मौखिक गवाही पर आधारित है। यह सच है कि पीडब्लू-10 ने अपदस्थ किया कि लगभग 1 बजे वह एस. टी. स्टैंड से घर लौट रहा था और फिर उसे चिंतामन (पीडब्लू-8) के घर पर दो मोटरसाइकिलें खड़ी मिलीं, कि चिंतामन के घर पर 4 से 5 व्यक्ति बैठे थे और उस समय आरोपी संख्या 2 और 3 अर्थात्, मृतक प्रथम अपीलार्थी और पूर्व अपील में जीवित अपीलार्थी, जिसे वह प्रत्यक्ष रूप से जानता था और एक पांडे उपस्थित थे। यह ध्यान देने योग्य है कि पीडब्लू-10 ने चिंतामन के घर में मृतक की उपस्थिति के बारे में गवाही नहीं दी थी, जब वह, पांडे और अन्य आरोपी व्यक्ति उक्त घर में थे। स्वाभाविक रूप से, अपनी मौखिक गवाही में उन्होंने मृतक पर पांडे द्वारा गाली देने के बारे में कुछ भी नहीं कहा था। उनकी मौखिक गवाही का एक अन्य पहलू यह है कि उन्होंने चिंतामन के घर के पीछे रहने वाली एक गर्भवती लड़की की पहचान के बारे में पांडे द्वारा किए गए प्रश्न के बारे में बयान दिया। उनके अनुसार, चिंतामन ने पांडे से कहा कि वह उस लड़की के बारे में कुछ नहीं जानते हैं और फिर पांडे ने उनसे उसके बारे में पूछा। यह बताए जाने पर कि वह उसके बारे में कुछ नहीं जानता था, पांडे ने उसे पीडब्लू-10 के अभिसाक्ष्य के अनुसार उस जगह को छोड़ने के लिए कहा। इस समय यह ध्यान देने योग्य है कि पीडब्लू-10 ने अपने साक्ष्य में इस पहलू का कोई उल्लेख नहीं किया है। यह सच है कि विचारण न्यायालय ने पाया कि यह पीडब्लू-10 का एक बेहतर संस्करण है। वैसे भी, पीडब्लू-10 की मौखिक गवाही से जो तथ्य सामने आया है, वह यह है कि उसने राजू पांडे और अपीलार्थियों सहित अभियुक्त व्यक्तियों को 04 के तुरंत बाद चिंतामन (पीडब्लू-08) के घर

पर देखा:00 घटना के दिन पीएम और उन्होंने पीडब्लू-8 के घर में मृतक की उपस्थिति के बारे में बात नहीं की। इसके अलावा, उनके अनुसार, राजू पांडे उनसे और पीडब्लू-8 से पीडब्लू-8 के घर के पीछे रहने वाली एक गर्भवती लड़की के बारे में पूछताछ कर रहे थे। यह भी ध्यान देने योग्य है कि अभिलेख पर साक्ष्य आगे यह दर्शाते हैं कि पीडब्लू-8 ने मृतक आरोपी राजू पांडे द्वारा कथित रूप से दुर्व्यवहार किए जाने का उल्लेख अपने बयान में Cr.P.C की धारा 161 के तहत मृतक पर नहीं किया था। सबसे बढ़कर, पीडब्लू-8 ने 04 से इस अवधि के दौरान किसी भी समय पीडब्लू-10 की उपस्थिति का उल्लेख नहीं किया:00 पीएम से 06:00 उस दुर्भाग्यपूर्ण दिन पर प्रधानमंत्री।

बी.

सी.

डी.

ई.

एफ.

जी.

25. जब उपरोक्त स्थिति पीडब्लू-8 और पीडब्लू-10 की मौखिक गवाही से प्राप्त तथ्यात्मक स्थिति है, तो माननीय उच्च न्यायालय, जिसने कहा कि 'अंतिम बार देखी गई' की परिस्थिति मामले में एक महत्वपूर्ण परिस्थिति है और इसका प्रमाण पीडब्लू-8 और पीडब्लू-10 की गवाही की गुणवत्ता और प्रकृति पर निर्भर करता है, को इस सवाल का जवाब देने के लिए गंभीरता से विचार करना चाहिए था कि क्या ए

एच.

679

शंकर बनाम महाराष्ट्र राज्य [सी. टी. रविकुमार, जे.] ए.

पीडब्लू-10 का साक्ष्य पीडब्लू-8 के साक्ष्य की पुष्टि करेगा। इसी प्रकार, समग्र परिस्थितियों में भी अगर न्यायालयों को इस प्रश्न पर सावधानीपूर्वक विचार करना चाहिए था कि क्या पीडब्लू-8 का एकमात्र मौखिक साक्ष्य निर्णायक रूप से मृतक के साथ अंतिम रूप से देखे गए मृतक के तथ्य को साबित करेगा। उपरोक्त पीडब्लू-8 और पीडब्लू-10 के साक्ष्य की हमारी सावधानीपूर्वक जांच पर हम यह अभिनिर्धारित करने के लिए विवश हैं कि विचारण न्यायालय और उच्च न्यायालय दोनों इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए उस कार्य का उचित प्रयोग करने में विफल रहे हैं कि अभियोजन पक्ष अभियुक्त के अपराध को स्थापित करने के लिए केवल परिस्थितिजन्य साक्ष्य पर निर्भर करता है। हमारे अनुसार, उपरोक्त चर्चा से पता चलता है कि पीडब्लू-10 का

साक्ष्य न केवल पीडब्लू-8 के साक्ष्य की पुष्टि करने में विफल रहा, बल्कि इसे संदेह की छाया में भी रखता है। इसलिए, हमारे अनुसार, माननीय उच्च न्यायालय ने यह अभिनिर्धारित करने में गलती की कि जैसा कि 'अंतिम बार देखे गए' के उक्त परिस्थितिजन्य साक्ष्य से संबंधित है, पीडब्लू-8 के साक्ष्य को पीडब्लू-10 के साक्ष्य से पुष्टि मिलती है और मामले के उस दृष्टिकोण में, विचारण न्यायालय के निष्कर्ष से सहमत होकर कि अभियोजन पक्ष यह साबित करने में सफल रहा है कि मृतक को अंततः अभियुक्त के साथ देखा गया था।

बी.

सी.

डी.

26. उपर्युक्त स्थिति ने हमें पीडब्लू-8 के साक्ष्य को सावधानीपूर्वक स्कैन करने के लिए मजबूर किया ताकि यह पता लगाया जा सके कि क्या उसकी एकमात्र गवाही निर्विवाद है और निर्णायक रूप से पीडब्लू-8 के घर पर मृतक और आरोपी/दोषियों के जुड़ाव को स्थापित करने के लिए त्रुटिहीन है जैसा कि अभियोजन पक्ष द्वारा आरोप लगाया गया है। इस संदर्भ में, यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि अभियोजन पक्ष के मामले से पता चलता है कि पीडब्लू-8 का घर गांजा धूम्रपान करने वालों का केंद्र है। लेकिन फिर, पीडब्लू-8 ने गांजा व्यवसाय में किसी भी तरह की संलिप्तता से इनकार किया। इसलिए, सवाल यह है कि यह अभी भी लोगों को क्यों आकर्षित और आकर्षित करता है? यदि अभियोजन पक्ष के मामले पर विश्वास किया जाए तो उन सभी व्यक्तियों को क्या बनाया गया।, मृतक, अभियुक्त/दोषी और पीडब्लू-10, उस समय पीडब्लू-8 के घर जाते हैं? जाहिर है, उस गिनती पर कोई संकेतात्मक सामग्री नहीं है। यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि यह अभियोजन पक्ष का मामला नहीं है कि अपीलार्थियों सहित आरोपी व्यक्ति मृतक की उपस्थिति के बारे में पता चलने पर वहां पहुंचे। अभियोजन पक्ष के मामले को देखते हुए मृतक अपने दोस्त के साथ अपने लूना मोपेड पर पीडब्लू-8 के घर पहुंचा और वह दोस्त को खड़े वाहन के पास छोड़कर अंदर चला गया। पीडब्लू-8 ने यह नहीं कहा कि मृतक के साथ उसकी दोस्ती थी और उसने केवल इस प्रभाव से अपदस्थ किया कि वह मृतक को जानता था और एक सीट पर बैठने पर मृतक ने एक गिलास पानी मांगा। इसके तुरंत बाद, राजू पांडे और तीन अन्य लोग जिनके साथ उनके केवल परिचित थे, उनके घर आए। पीडब्लू-8

ई.

एफ.

जी.

एच.

आगे यह बयान देगा कि इसके बाद राजू पांडे ने मृतक के साथ दुर्व्यवहार किया और फिर मृतक ने दलील दी कि उसने कोई गलत काम नहीं किया है। जैसा कि पहले उल्लेख किया गया है, यह सबूत में सामने आया है कि राजू पांडे द्वारा मृतक पर दुर्व्यवहार करने का कार्य धारा 161, Cr.P.C के तहत दर्ज पीडब्लू-8 के पिछले बयान में दर्ज नहीं किया गया था। सबसे बढ़कर, पीडब्लू-8 ने न्यायालय के समक्ष अपनी गवाही में यह बताने के लिए भी कुछ नहीं कहा कि राजू पांडे द्वारा दुर्व्यवहार करना मृतक और उसके दोस्त पराग सुखदेव द्वारा उसके भाई पर हमले के कारण था। फिर, कैसे और किस कारण से इस घटना को मृतक राहुल की हत्या का मकसद बताया गया? जिन्होंने इस कहानी को न्यायालय के समक्ष अभियोजन पक्ष के मामले के हिस्से के रूप में पेश किया। निश्चित रूप से, यह नहीं कहा जा सकता है कि यह पीडब्लू-10 ही था जिसने इस आशय की बात की थी क्योंकि उसकी गवाही से पता चलता है कि उसने पीडब्लू-8 के घर पर मृतक की उपस्थिति के बारे में तब तक नहीं कहा था जब आरोपी/दोषियों को वहां देखा गया था।

बी.

सी.

27. अभिलेख पर साक्ष्य से एक अन्य पहलू सामने आया है कि पीडब्लू-10 के अनुसार जब वह 04 के बाद पीडब्लू-8 के घर में प्रवेश किया:00 घटना के दिन शाम को राजू पांडे और अन्य लोग वहाँ मौजूद थे और राजू पांडे ने उनसे एक गर्भवती लड़की के बारे में पूछा जो पीडब्लू-8 के घर के पीछे रह रही थी। पीडब्लू-10 के अनुसार, राजू पांडे ने पीडब्लू-8 से भी यही पूछा और दोनों ने ऐसी लड़की के बारे में अपनी जानकारी की कमी का खुलासा किया और फिर राजू पांडे ने पीडब्लू-10 को वहाँ से जाने के लिए कहा और फिर वह वहाँ से चला गया। यह सुझाव देगा, अगर यह सच था कि वह ऐसी लड़की की तलाश में मृतक से पहले अन्य लोगों के साथ वहाँ पहुंचा था, तो ऐसा न हो कि वह इस पर क्रोधित/निराश क्यों हो जाए और पीडब्लू-10 को जगह छोड़ने के लिए कहा जाए। पीडब्लू-8 ने पीडब्लू-10 की उपस्थिति के बारे में और राजू पांडे द्वारा किए गए ऐसे प्रश्न के बारे में भी नहीं बताया।

डी.

ई.

28. उपरोक्त सभी कारणों और परिस्थितियों के कारण, अपीलार्थियों के खिलाफ इस मामले में 'अंतिम बार देखे गए सिद्धांत' को लागू करने के लिए पीडब्लू-8 की एकमात्र गवाही पर निर्भर रहना असुरक्षित है, विशेष रूप से पीडब्लू-8 के अनुसार वह केवल उनके साथ परिचित था।

एफ.

29. इस प्रकार, संक्षेप में पीडब्लू-8-वितामन से निकले अंतिम देखे गए संस्करण की शुद्धता संदिग्ध हो जाती है, विशेष रूप से यहाँ अपीलार्थियों के खिलाफ। जैसा कि पहले देखा गया है, वस्तुतः, पीडब्लू-8 और पीडब्लू-10 की मौखिक गवाही अंतिम बार देखी गई गवाही के बारे में भिन्न है और यह पहले बताए गए कारणों से अनिर्णायक हो जाती है। हमने यह भी पाया है कि अभियोजन पक्ष कथित उद्देश्य को साबित करने में बुरी तरह विफल रहा है। ऐसी परिस्थिति में, हालांकि मृतक की हत्या से मौत हो गई थी, यह नहीं कहा जा सकता है कि बाकी परिस्थितिजन्य साक्ष्य ए को बाहर निकालते हैं।

जी.

एच.

681

शंकर बनाम महाराष्ट्र राज्य [सी. टी. रविकुमार, जे.]

अवर न्यायालयों द्वारा राहुल पुंडलिक मेशराम की हत्या में अपीलार्थियों की दोषीता की ओर बिना किसी संदेह के इशारा किया गया है। यहां तक कि हथियार और पोशाक की बरामदगी, बाद की अपील में अपीलार्थी के कहने पर, अपने आप में निर्णायक नहीं हो सकती है क्योंकि स्वीकार है कि पंच गवाहों ने भी अपनी बरामदगी के लिए अभियोजन पक्ष का समर्थन नहीं किया था। हमारे सुविचारित दृष्टिकोण में, अभियोजन पक्ष द्वारा जिन शेष परिस्थितियों पर भरोसा किया गया था और जैसा कि नीचे दी अवर न्यायालयों द्वारा साबित किया गया था, वे अपीलार्थियों के अपराध की ओर स्पष्ट रूप से इशारा नहीं करेंगे।

बी.

30. इस प्रकार, हमारे विचार में, अपीलार्थियों की दोषसिद्धि को बनाए रखना उपरोक्त परिस्थितियों में असुरक्षित है; इस प्रकार, हम उन्हें संदेह का लाभ देते हैं। तदनुसार, हम अपीलार्थियों को बरी करने का आदेश देते हैं। इस प्रकार अपीलों की अनुमति दी जाती है, जिससे उच्च न्यायालय और सत्र न्यायालय के निर्णयों और आदेशों में गड़बड़ी होती है। अपीलार्थियों द्वारा निष्पादित जमानत बांडों को खारिज कर दिया जाता है।

सी.

निधि जैन

अपीलों की अनुमति दी गई।

डी.

(सहायता दी: जॉर्ज जे. और राखी, एलसीआरए)

ई.

एफ.

जी.

एच.